वित्तीय स्वीकृति

संख्या-30/2016/1115/52-3-16-बजट(07)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक अप्रैल, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद के कार्यालय □□□ वित्तीय स्वीकृति। (आयोजनेत्तर)

□□□□□,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रजिस्ट्रार/निरीक्षक, □□□□ □□□□ □□□□□ □0प्र0 के कार्यालय (अधिष्ठान) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में निम्न प्रकार विभिन्न मदों में कुल रू0 83,31,000/- □□ □□-व्ययक प्राविधान □□

(धनराशि हज़ार रू0 में)

क्रम सं0	□□ □□ □□□	वर्ष 2016-17 में प्राविधानित आय- व्ययक प्राविधान
1	01 □□□	2445
2	02 मजदूरी	10
3	03 मंहगाई भत्ता	3325
4	04 यात्रा व्यय	200
5	06 अन्य भत्ं	370
6	07 □□□□□	545
7	08 कार्यालय व्यय	55
8	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपा□	28
9	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100
10	13 टेलीफोन पर व्यय	23
11	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	आदि की खरीद	50
12	16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	400
13	17 किराया, उप शुल्क और कर-स्वामित्व	600
14	18 प्रकाशन	50
15	42 अन्य व्यय	50
16	45 अवकाश यात्रा व्यय	10
17	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	50
18	49 चिकित्सा व्यय	20
	□□	8331

वित्त (अ□-व्ययक) □□□□-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 की व्यवस्था के अनुसार रजिस्ट्रार/निरीक्षक, □□□□ □□□□ □□□□ □0प्र0 के कार्यालय (अधिष्ठान) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपरोक्तानुसार विभिन्न मदों में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 83,31,000/- (रू0 □□□□ लाख इक्तीस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं:-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण शासन को मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

5- □□□□□ □□ □□□□ (एलाॅॅटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- □क्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-48 □□ लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-001-निदेशक तथा प्रशास -06 रजिस्ट्रा /निरीक्षक अरबी फारसी मदरसा उ0प्र0, इलाहाबाद की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला □□□□

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: □स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- □□□ □□श वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/□□-1-746/ □□-2016-231/2016, दिनांक 22.03.2016 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-1115 (1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-□□□□□□□□ (लेखा परीक्ष) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, □□□□□□□□

2-□□□□□□□□ (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, □0प्र0, □□□□□□□□

3-कोषाधिकारी, ज□□□□ □□□, □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, □0प्र0 □□□□□

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, □□□□□ □□□, □□□□□

5-वित्त (ई-11) □□□□□/वित्त (आ□-व्ययक) □□□□□-1(02 प्रतियों में)/ि□□□□□ □□□□□-3 □□□□□ □□□□□/गार्ड फाईल।

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

आज्ञा से,

(□□ प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □□□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in